

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अर्जन निदेशालय

पटना, बिहार

अधिधोषणा

पत्रांक.....

दिनांक 7/3/13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हकाम थाना-महम्मदपुर थाना नं०-288 परागना- मडहल जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिधोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- हकाम में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.07 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं०- निम्न प्रकार है।

अर्जनधीन भूमि का खेसरा नं०- 2622 अंश, 2623 अंश, 2443 अंश, 2442 अंश, 2444 अंश, 2445 अंश, 2457 अंश, 2456 अंश, 2459 अंश, ।

### अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - खेसरा नं०-2625 अंश, 2444 अंश, 2445 अंश, 2456 अंश, 2550 अंश, आम सड़क।

पूरब - खेसरा नं०- 2448 अंश, 2447 अंश, 2444 अंश, 2459 अंश, ।


दक्षिण - खेसरा नं०-2443 अंश, 2442 अंश, 2457 अंश, 2459 अंश, ।

पश्चिम- खेसरा नं०- 2622 अंश, 2623 अंश, 2443 अंश, 2456 अंश, ।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, स्लेटो या अन्य खान खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खान या खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उनके निर्माण के लिए खोदना उपयोग में लाना हो तो ले लिए जायेंगे।

यह अधिधोषणा भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
समाहर्ता  
गोपालगंज।

सरकार के अवर सचिव  
बिहार पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, गोपालगंज को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

7/3/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।  
2